राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2158/2025

धर्मेन्द्र कुमार कुमावत

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 07.03.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री आनन्द शर्मा, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी के पद पर सीएचसी, गागरडू, जयपुर–।। में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण एसडीएच, देचू, फलोदी में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश पिछली तारीख में जारी किया गया है, जो उचित नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण 450 किमी दूर किया गया है। अपीलार्थी की माता बीमार है, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी अपीलार्थी पर है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण किये जाने से अपीलार्थी को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अतः अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश स्थगित रखा जाए।
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 को जारी किया गया है एवं दिनांक 15.01.2025 तक स्थानान्तरण किये जाने की शिथिलता दी गयी थी। अपीलार्थी यह प्रकट नहीं

कर पाया है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश पिछली तारीख में जारी किया गया है। जहां तक अपीलार्थी की व्यक्तिगत एवं पारिवारिक समस्याओं का संबंध है तो हम इस आधार पर अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक व राज्यहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में इस अधिकरण को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, जब तक की उक्त निर्णय दुर्भावनापूर्ण या नियम–विरूद्ध तरीके से पारित नहीं किया गया हो।

5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी अपनी व्यक्तिगत एवं पारिवारिक समस्याओं के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए सदैव स्वतंत्र है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)